न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – संजय कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 30/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम, 136 एल.आर.एक्ट

1. हरप्रीत सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. संदीप सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

....वादीगण.....

बनाम

1. सोहन सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री सोहन सिंह जाति खत्री निवासी 2 एल एल धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	(वादीगण)
	अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1, 2)
	पैरोकार राज	(प्रति.–3)

दिनांक 01.03.2024

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वाके चक 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 59 / 28 का मुरब्बा नम्बर 1 व 2 की कुल 6.199 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि व वादीगण की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है । उक्त सम्पत्ति प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है। उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादीगण संख्या 1 व 2 का प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादीगण ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का वादीगण के साथ घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी संख्या 1 हरप्रीत सिंह व [illegible] चक 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5[illegible] मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 2.3150 है0 नहरी कृषि भूमि (बाहिस्सा बराबर) [illegible] दी हुई है। उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण अपने हिस्सा में [illegible] भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा मौका पर काश्त कर रहे हैं । प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

करवा देगें। इसी विश्वास पर वादीगण ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने कार्य करवाए हैं। अपने हिस्सा के रकबा में सुधार यह कि वादीगण पढे लिखे व अग्रणी काश्तकारान हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहते हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज ना होने के कारण वादीगण सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.12.2023 को उन्होने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादीगण के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है । प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है । अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः—

(1) यह कि वादी संख्या 1 हरप्रीत सिंह व वादी संख्या 2 संदीप सिंह को चक 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 59/28 का मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 2.3150 है0 नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे।

(2) यह कि डिक्री खाता विभाजन की जारी की जाकर भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जावे

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपसी सहमति के आधार पर इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसके मुताबिक जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह कि वादी संख्या 1 हरप्रीत सिंह व वादी संख्या 2 संदीप सिंह को चक 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 59/28 का मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 2.315 है० नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2072—2075 ग्राम 4 एलएल पटवार हल्का 4 एलएल भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दपुरा खाता संख्या 59/28 की प्रति पेश की। वाद में पक्षकारान मध्य आपसी सहमति हो चुका है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जा सकता है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नि[illegible] प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आ[illegible]पर [illegible] डिक्री किया जा सकता है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 हरप्रीत सिंह व वादी संख्या 2 संदीप सिंह को चक 4 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 59/28 का मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 2.315 है० नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 01.03.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner